**न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना**
**सत्र वाद सं0–2363/2025**

**आदेश**

30.01.2026 प्रस्तुत मामले में कुल 03 अभियुक्तगण 1.शनिचर मांझी, 2.राधा देवी उर्फ रौशनी देवी एवं 3.रून्ती देवी को अभिरक्षा अधिपत्र के साथ आज कारा से प्रस्तुत किया गया। इस मामले में अभियुक्तगण राधा देवी उर्फ रौशनी देवी एवं रून्ती देवी की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 250/262 के अंतर्गत दाखिल उन्मोचन आवेदन दिनांक 24.01.2026 पर उनके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आवेदन उपरोक्त में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4), 305, 137(2), 142, 143,(4), 109 एवं किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत विचारण का अभिलेख इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है। उनके तरफ से पूर्व में कोई उन्मोचन आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। उनका आगे कथन है कि आवेदकगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, उनका नाम इस मामले में सह–अभियुक्त शनिचर मांझी के संस्वीकृति बयान में आया है। इस मामले में अनुसंधानक के दौरान सूचक आवेदकगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ाना कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग और न्यायिक समय की बर्बादी है। आवेदकगण पूरी तरह निर्दोष है और उनका किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी वाले काम में कोई सहभागिता नहीं है। आवेदकगण एक साधारण महिला है और उनके पति का भी निधन हो चुका है और अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली सदस्य है। अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा आवेदकगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं किया गया है। आवेदकगण को इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया है। अभिलेख पर उनके विरूद्ध आरोप गठन हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः निवेदन है आवेदक अभियुक्तगण के तरफ से दाखिल उन्मोचन आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

**न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना**
**सत्र वाद सं0–2363/2025**

लगातार

07.02.2025 विरोधस्वरूप विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं हैं, उनका नाम सह–अभियुक्त शनिचर मांझी के संस्वीकृति बयान में आया है। पुलिस द्वारा अनुसंधानोपरांत घटना को सत्य पाते हुए उनके विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–4, पटना सिटी के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4), 305, 137(2), 142, 143,(4), 109 एवं किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेते हुए सत्र न्यायालय में दौरा सुपूर्द किया गया है। अभिलेख पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप गठन हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। अतः निवेदन है कि उपरोक्त खारिज किया जाए।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहित की धारा 250 में वर्णित प्रावधान का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। उक्त धारा में यह उल्लिखित है कि ''यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गई दस्तावेजों पर विचार कर लेने पर, और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की सुनवाई कर लेने के पश्चात न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।''

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि इस मामले की प्राथमिकी शशिकांत कुमार द्वारा दिए गए आवेदन पर दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंन आरोप लगाया है कि दिनांक 16.05.2025 की रात्रि में उसके भाभी माधुरीकांत के 8 माह का बच्चा कृश को कोई घर से लेकर भाग गया। सी0सी0टी0वी0 फुटेज के आधार पर शनिचर मांझी को पकड़ा गया है और उसके बताए गए स्थान उक्त बच्चा को कुम्हरार दुर्गा मंदिर के बगल में खटाल के पास से बच्चा जख्मी हालत में सूचक को मिला है। सूचक के उक्त आवेदन पर अगमकुआं थाना कांड संख्या–395/2025 दर्ज कर अनुसंधान किया गया है तथा पुलिस द्वारा समर्पित आरोप पत्र के आधार पर अभियुक्त

**न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना**
**सत्र वाद सं0–2363/2025**

लगातार

30.01.2026

शनिचर मांझी एवं आवेदिका अभियुक्तगण के विरूद्ध विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी–4, पटनासिटी के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4), 305, 137(2), 142, 143,(4), 109 एवं किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 81 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेते हुए इस मामले का दौरा सुपूर्द किया गया है। अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदिका अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं हैं, उसका नाम प्राथमिकी के नामित मुख्य सह–अभियुक्त शनिचर मांझी के द्वारा पुलिस के समक्ष किए गए दोषस्वीकारोक्ति बयान में आया है, जिसमें उसने कहा है कि घटना की तिथि एवं समय को उसने उक्त बच्चा को चोरी कर आवेदिका अभियुक्त राधा देवी और रून्ती देवी को देता है तथा मोबाइल को राधा देवी के पास 2000 रुपए में बेचा है। अभियुक्त के उक्त संस्वीकृति बयान के आधार पर आवेदिकागण को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है एवं उनका संस्वीकृति बयान लिया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 17 एवं 18 के अनुसर उक्त संस्वीकृति बयान के आधार पर आवेदिका राधा देवी के पास से चोरी का मोबाईल बरामद हुआ है, जबकि रून्ती देवी के पास से कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। कांड दैनिकी की कंडिका 33 के अनुसार सूचक का बच्चा कुम्हरार दुर्गा मंदिर के पास स्थित बिक्की कुमार के खटाल के पास से बरामद किया गया है। अनुसंधान के दौरान कांड दैनिकी की कंडिका 2, 7 एवं 8 में अंकित किए साक्षियों के बयान में भी आवेदिकागण के विरूद्ध कुछ नहीं कहे हैं। अनुसंधान के दौरान अनुसंधानक द्वारा इस संबंध में कोई साक्ष्य एकत्रित नहीं किया गया है कि आवेदिकागण एवं मुख्य अभियुक्त शनिचर मांझी बच्चा चोरी करने वाले गिरोह के सदस्य थे तथा अभियुक्त शनिचर मांझी बच्चा चोरी कर आवेदिकागण को देते थे। इस संबंध में केवल अभियुक्त शनिचर मांझी का दोषस्वीकारोक्ति बयान है, जो साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अभियुक्त के किए गए दोषस्वीकारोक्ति में केवल वहीं भाग सुसंगत होता है, जिसके आधार पर कोई बरामदगी हो। इस मामले में अभियुक्त शनिचार मांझी के किए गए दोषस्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आवेदिका राधा देवी के पास से चोरी का

**न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना**
**सत्र वाद सं0–2363/2025**

लगातार

30.01.2026

मोबाईल बरामद की गई है। जबकि आवेदिका रून्ती देवी के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर आवेदिका अभियुक्त रून्ती देवी के विरूद्ध आगे कार्रवाई चलाने हेतु अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। अतः आवेदिका अभियुक्त रून्ती देवी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 331(4), 305, 137(2), 142, 143,(4), 109 एवं किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 81 के आरोप से उन्मोचित किया जाता है।

वहीं आवेदिका अभियुक्त राधा देवी उर्फ रौशनी देवी के कब्जे से चोरी का बच्चा बरामद नहीं किया गया है, जबकि संस्वीकृति बयान के आधार पर चोरी का मोबाईल उसके कब्जे से बरामद हुआ है। इस प्रकार उक्त अपराध के लिए उसके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 317(2) के अंतर्गत आरोप गठन किए जाने हेतु अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। वाद दिनांक 11.02.2026 को वास्ते आरोप गठन हेतु।

लेखापित एवं संशोधित

(संगम सिंह)
**अपर सत्र न्या0–प्रथम**